न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 1355/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 शंकरलाल पुत्र गोकलाराम जाति मेघवाल निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर।		1 राणाराम पुत्र रामजीराम 2 पदमाराम पुत्र देदाराम के कायम मुकाम 2/1 खेताराम 2/2 मिसराराम 2/3 नखताराम पिसरान स्व. पदमाराम 2/4 मखनी पत्नी स्व. पदमाराम निवासी महाबार 2/5 कमला पुत्री स्व. पदमाराम पत्नी हरूराम निवासी विशाला 2/6 नीम्बू पुत्री स्व. पदमाराम पत्नी वीराराम जाति मेगवाल निवासी दूंढा 3 मंगलाराम पुत्र देदाराम 4 मूलाराम पुत्र देदाराम के कायम मुकाम 4/1 किशनलाल 4/2 बनाराम पिसरान स्व. मूलाराम 4/3 पारूदेवी पत्नी स्व. मूलाराम 5 वालाराम पुत्र दीपाराम के कायम मुकाम 5/1 खेताराम 5/2 भटाराम पिसरान स्व. वालाराम 5/3 चौथी पत्नी स्व. वालाराम निवासी महाबार 5/4 मांगी पुत्री स्व. वालाराम पत्नी गेमराराम जाति मेगवाल निवासी दरूडा तहसील बाड़मेर 5/5 कूशी पुत्री स्व. वालाराम पत्नी हड़ूमान जाति मेगवाल निवासी सिहाणी तहसील रामसर जिला बाड़मेर 6 मैनेजर थार आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा महाबार 7 तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 229 RTA Act.

उपस्थिति :– 1 श्री गणेश कुमार वकील प्रार्थी।
2 श्री अर्जुनराम बोसिया एवं श्री हिन्दूराम भाटी वकील अप्रार्थीगण।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

आदेश

दिनांक 02.08.18

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी (वादी) व अन्य सहखातेदारों (अप्रार्थी संख्या 01 से 05) की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा महाबार पीथल पटवार क्षैत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 2248/1816 रकबा 171.04 बीघा, खसरा संख्या 2251/1815 रकबा 05.14 बीघा कुल रकबा 176.18 बीघा के आये हुए है। उक्त खसरों की भूमि मे प्रार्थी का 1/6 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 02 से 04 का 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 05 का भी 1/3 हिस्सा खातेदारी का बनता है। उक्त भूमि के खातेदारी की घोषणा एवं विभाजन बाबत एक वाद प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद दिनांक 05.04.2013 को माफिक विभाजन प्रस्ताव निर्णित किया गया। वाद प्रस्तुत करने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 4/1 किशनलाल पुत्र मूलाराम द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि कमलाराम पुत्र आलाराम व चिमाराम पुत्र ताजाराम जाति मेघवाल निवासी महाबार को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा सुपूर्द किया। इस कारण प्रतिवादी संख्या 4/1 किशनाराम के स्थान पर कमलाराम व चिमाराम काबिज हो गये। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 29.04.2013 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसमे प्रतिवादी संख्या 4/1 किशनाराम पुत्र मूलाराम का कब्जा काश्त न बताकर खरीददार कमलाराम पुत्र आलाराम व चिमाराम पुत्र ताजाराम का 06.12 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त होना अंकित किया, जबकि उक्त कमलाराम व

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

चिमाराम वाद में पक्षकार नही बनाये गये थे। लिहाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी शंकरलाल का 1/6 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 02 से 04 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 05 का 1/3 हिस्सा खातेदारी में बनता है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.11.2017 को नकले मांगने पर आदेश की जानकारी हुई। लिहाजा आवेदन अन्दर म्याद स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 05.04.2013 को निरस्त कर मूल वाद को रिव्यू कर पुनः आदेश पारित करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5/4 व 5/5 के अतिरिक्त समस्त अप्रार्थीगण ईकतरफा। अप्रार्थी संख्या 5/4 व 5/5 के वकील द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में उन्होने अपना हिस्सा मां चौथीदेवी व भाई खेताराम व भटाराम के पक्ष में हकतर्क किया है। लिहाजा इस प्रकरण में उन्हे अप्रार्थी पक्षकारान से पृथक किया जावे।

उभय पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि न्यायालय द्वारा जारी डिकरी दिनांक 05.04.2013 में प्रतिवादी पक्षकार किशनाराम पुत्र मूलाराम था परन्तु प्राप्त विभाजन प्रस्ताव में खरीददार कमलाराम पुत्र आलाराम व चिमाराम पुत्र ताजाराम का नाम अंकित हुआ है एवं प्रतिवादी पक्षकारान संख्या 04 से 05 का नाम अन्तिम डिकरी जारी करते वक्त सहवन से छूट गया है जिसे अंतिम डिकरी में लिया जाना आवश्यक है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद संख्या 17/2010 अनवान शंकरलाल बनाम राणाराम निर्णय दिनांक 05.04.2013 रिव्यू किया जाता है।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 02-8-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner